

तारानाकी माँगा माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हुआ

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

न्यूज़ीलैंड के दूसरे सबसे ऊँचे माउंटेन तारानाकी माँगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, जो यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल (वर्ष 2014 में ते उरेवेरा पार्क और वर्ष 2017 में वांगानुई नदी के बाद) बन गया।

- अब इसे औपनिवेशिक नाम **माउंट एगमोंट** की जगह आधिकारिक तौर पर इसके **माओरी** नाम से जाना जाएगा।
 - **माओरी** न्यूज़ीलैंड की मूल जनजातियाँ (इवी) हैं।

माउंट तारानाकी के बारे में:

- प्रकार: सममति आकार वाला **सट्रैटोवोलकानो** (संयुक्त शंकु)।
- गठन: प्रशांत प्लेट के ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे क्षेपण (Subducting) का परिणाम।
- स्थिति: बर्फ से ढका हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी।
- दक्षिणी आल्प्स में स्थिति एओराकी/माउंट कुक (3724 मीटर) न्यूज़ीलैंड का सबसे ऊँचा पर्वत है, जबकि माउंट तस्मान (3,497 मीटर) दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है।

भारत में प्राकृतिक संस्थाओं के कानूनी अधिकार:

- उत्तराखंड उच्च न्यायालय (वर्ष 2017 और वर्ष 2018): गंगा और यमुना नदियों, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया, तथा बाद में सभी जानवरों को समान अधिकार प्रदान किये गये। सर्वोच्च न्यायालय ने नदी संबंधी नरिणय पर रोक लगा दी।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (वर्ष 2020): पर्यावरण संरक्षण के लिये सुखना झील, चंडीगढ़ को एक जीवित इकाई घोषित किया गया।
- [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]](#) राज्य (न्यायपालिका) को उन लोगों के लिये संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, जिनमें नदियाँ, वन और वन्यजीव जैसी प्राकृतिक संस्थाएँ शामिल हैं।

अधिक पढ़ें: [मानवाधिकार और पर्यावरण](#)